भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1749

उत्तर देने की तारीख: 05.12.2024

पूंजी निवेश राजसहायता योजना

1749. श्री हमदुल्ला सईद:

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सूक्ष्म और लघु उद्योगों की स्थापना के लिए 25 प्रतिशत पूंजी निवेश राजसहायता योजना के अंतर्गत निर्धारित समय-सीमा और लक्ष्यों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त योजना की प्रगति पर निगरानी रखने के लिए क्या तंत्र स्थापित किया गया है; और

(ग) उक्त योजना के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कितने उद्यम स्थापित किए गए हैं?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) से (ग): सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई) अक्टूबर, 2016 से राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति हब (एनएसएसएच) स्कीम का कार्यान्वयन कर रहा है, ताकि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा दिया जा सके और भारत सरकार के सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए लोक प्रापण नीति के अंतर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एमएसई से अधिदेशित 4% खरीद को पूरा किया जा सके। मंत्रालय में नियमित अंतराल पर विभिन्न स्तरों पर इस स्कीम के कार्यान्वयन की निगरानी की जा रही है। इस स्कीम को 15वें वित्तीय चक्र अर्थात वित्तीय वर्ष 2021-22 से वित्तीय वर्ष 2025-26 तक जारी रखा गया है।

एनएसएसएच स्कीम के घटक 'विशेष ऋण संबद्ध पूंजी सब्सिडी स्कीम (एससीएलसीएसएस)' के अंतर्गत, एससी-एसटी स्वामित्व वाले एमएसई को संयंत्र और मशीनरी/उपकरण (अर्थात् 25 लाख रुपये की सब्सिडी सीमा) की खरीद के लिए बिना किसी क्षेत्र विशेष प्रतिबंध के 25% पूंजी सब्सिडी प्रदान की जाती है। लाभार्थी इकाई को संयंत्र एवं मशीनरी और उपकरण की स्थापना तथा चालू होने (कमीशनिंग) के बाद तीन वर्ष तक वाणिज्यिक उत्पादन/सेवा में बने रहना होगा, जिस पर एससीएलसीएसएस के अंतर्गत सब्सिडी का लाभ उठाया गया है। इसे सुनिश्चित करने के लिए, एससीएलसीएसएस के अंतर्गत सरकार द्वारा जारी की गई सब्सिडी को सावधि जमा रसीद (टीडीआर) के रूप में रखा जा रहा है। तीन वर्ष की प्रतिधारण अवधि समाप्त होने पर, बैंक टीडीआर को समाप्त कर देता है और संतुष्ट होने के बाद कि एससीएलसीएसएस की अपेक्षित निबंधनों एवं शर्तों का विधिवत रूप से अनुपालन किया गया है, लाभार्थी के ऋण खाते में आय को जमा कर देता है।

अब तक, एससीएलसीएसएस के अंतर्गत सहायता-प्राप्त एससी-एसटी स्वामित्व वाले एमएसई का राज्य-वार विवरण **अनुबंध-I** में संलग्न है।

इसके अलावा, इस मंत्रालय के प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के अंतर्गत सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों को ग्रामीण क्षेत्रों में परियोजना लागत का 25% और शहरी क्षेत्रों में 15% मार्जिन मनी (एमएम) सब्सिडी के साथ सहायता प्रदान की जाती है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, महिला, भूतपूर्व सैनिक, दिव्यांग, ट्रांसजेंडर, पूर्वोत्तर क्षेत्र, पहाड़ी एवं सीमावर्ती क्षेत्रों और आकांक्षी जिलों जैसे विशेष श्रेणियों के लाभार्थियों के लिए, मार्जिन मनी सब्सिडी ग्रामीण क्षेत्रों में 35% और शहरी क्षेत्रों में 25% है। विनिर्माण क्षेत्र में परियोजना की अधिकतम लागत 50 लाख रुपये और सेवा क्षेत्र में 20 लाख रुपये है।

वर्ष 2018-19 से, मौजूदा पीएमईजीपी/मुद्रा उद्यमों को भी विगत अच्छे कार्य-निष्पादन के आधार पर उन्नयन और विस्तार के लिए दूसरे ऋण के साथ सहायता दी जाती है। दूसरे ऋण के अंतर्गत, विनिर्माण क्षेत्र के अंतर्गत मार्जिन मनी सब्सिडी के लिए स्वीकार्य अधिकतम परियोजना लागत 1.00 करोड़ रुपये और सेवा क्षेत्र के लिए 25 लाख रुपये है। सभी श्रेणियों के लिए दूसरे ऋण पर पात्र सब्सिडी परियोजना लागत का 15% (पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों के लिए 20%) है।

पीएमईजीपी के अंतर्गत इसके शुभारंभ से अर्थात वित्तीय वर्ष 2008-09 से वित्तीय वर्ष 2024-25 (दिनांक 02.12.2024 तक) तक सहायता-प्राप्त लाभार्थियों का राज्य-वार विवरण **अनुबंध -II** में संलग्न है।

*****

अनुबंध-I

दिनांक 05.12.2024 को उत्तर हेतु लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1749 के भाग (क) से (ग) के संदर्भ में उल्लिखित अनुबंध-I

शुभारंभ से अब तक, एनएसएसएच स्कीम के एससीएलसीएसएस के अंतर्गत सहायता-प्राप्त राज्य-वार एससी-एसटी एमएसई

क्र.सं.	राज्य का नाम	लाभार्थियों की सं.	दावों की सं.
1	आंध्र प्रदेश	190	190
2	असम	3	4
3	चंडीगढ़	2	3
4	छत्तीसगढ़	3	3
5	दिल्ली	171	171
6	गुजरात	541	548
7	हरियाणा	19	22
8	हिमाचल प्रदेश	5	7
9	झारखंड	8	8
10	कर्नाटक	153	158
11	लद्दाख	8	8
12	मध्य प्रदेश	17	19
13	महाराष्ट्र	790	868
14	मणिपुर	1	1
15	मिजोरम	5	5
16	ओडिशा	6	6
17	पंजाब	23	31
18	राजस्थान	180	222
19	तमिलनाडु	31	32
20	तेलंगाना	163	166
21	त्रिपुरा	11	16
22	उत्तर प्रदेश	4	5
23	उत्तराखंड	7	7
24	पश्चिम बंगाल	5	5
	सकल योग	**2346**	**2505**

अनुबंध-II

दिनांक 05.12.2024 को उत्तर हेतु लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1749 के भाग (क) से (ग) के संदर्भ में उल्लिखित अनुबंध-II

पीएमईजीपी के अंतर्गत इसके शुभारंभ से अर्थात वित्तीय वर्ष 2008-09 से वित्तीय वर्ष 2024-25 तक (दिनांक 02.12.2024 तक) सहायता प्राप्त लाभार्थियों का राज्य-वार विवरण

क्र.सं.	राज्य	सहायता-प्राप्त इकाइयों की सं.
1	अंडमान निकोबार	2,615
2	आंध्र प्रदेश	35,159
3	अरुणाचल प्रदेश	4,177
4	असम	65,608
5	बिहार	46,737
6	चंडीगढ़	511
7	छत्तीसगढ़	29,496
8	दिल्ली	1,959
9	गोवा	1,277
10	गुजरात*	34,390
11	हरियाणा	21,171
12	हिमाचल प्रदेश	16,107
13	जम्मू कश्मीर	92,302
14	झारखंड	26,561
15	कर्नाटक	50,163
16	केरल	32,107
17	लद्दाख	824
18	लक्षद्वीप	93
19	मध्य प्रदेश	48,997
20	महाराष्ट्र**	54,452
21	मणिपुर	12,030
22	मेघालय	6,543
23	मिजोरम	9,221
24	नागालैंड	10,524
25	ओडिशा	45,658
26	पुदुचेरी	1,067
27	पंजाब	20,295
28	राजस्थान	32,658
29	सिक्किम	1,045
30	तमिलनाडु	62,759
31	तेलंगाना	18,142
32	त्रिपुरा	16,174
33	उत्तर प्रदेश	105,201
34	उत्तराखंड	22,798
35	पश्चिम बंगाल	56,226
कुल		**985,047**

* दमन और दीव सहित

** दादरा नगर और हवेली सहित